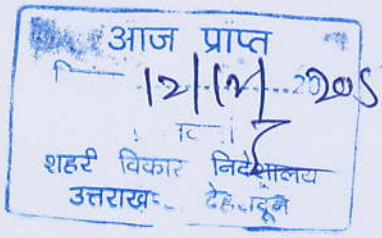
संख्याः 35 / 730 / 68181/FCD-IRFC/FSFC/2/ 2025

प्रेषक,

हिमांशु खुराना,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
31/62, राजपुर रोड,
देहरादून।



वित्त अनुभाग–1 :: देहरादून :: दिनांकः 11 दिसम्बर, 2025

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में "संयुक्त अनुदान–परिसम्पत्तियों का सृजन" के अन्तर्गत नगर पंचायत–गूलरभोज (ऊधमसिंह नगर) को "मछली बाजार में दुकानों के निर्माण" की कार्ययोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में "संयुक्त अनुदान–परिसम्पत्तियों का सृजन" के अन्तर्गत नगर पंचायत–गूलरभोज (ऊधमसिंह नगर) को "मछली बाजार में दुकानों के निर्माण" की कार्ययोजना हेतु कुल रू0 54.37 लाख (रू0 चौवन लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 53.25 लाख (रू0 तिरेपन्न लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु 60 प्रतिशत अर्थात् रू0 31.95 लाख (रू0 इकतीस लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की धनराशि संबंधित निकाय को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन आवंटित करने के लिए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उपर्युक्त स्वीकृति पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में "संयुक्त अनुदान–परिसम्पत्तियों का सृजन" के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।
2. यह स्वीकृति गठित आंगणन रू0 59.14 लाख के सापेक्ष जनपद स्तरीय परीक्षण कमेटी द्वारा औचित्यपूर्ण/ अनुमोदित रू0 54.37 लाख के आधार पर प्रदान की जा रही है।
3. कार्ययोजना हेतु औचित्यपूर्ण/ अनुमोदित रू0 54.37 लाख के सापेक्ष रू0 53.25 लाख की धनराशि का वित्त पोषण पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत तथा **Consultancy** चार्ज रू0 1.12 लाख का वहन नगर पंचायत–गूलरभोज द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
4. IFMS प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप उक्त धनराशि निदेशक, शहरी विकास विभाग के निवर्तन पर रखी जा रही है। निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा उक्त धनराशि तत्काल संबंधित निकायों को हस्तांतरित की जायेगी।
5. स्वीकृत विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) के अनुसार ही धनराशि व्यय की जायेगी।
6. स्वीकृत धनराशि उसी कार्ययोजना पर व्यय की जायेगी जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है।
7. स्वीकृत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक कराये गये कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मय फोटोग्राफ सहित वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सहित उपलब्ध कराने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
9. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः I/287566/E-79713/09(150) 2019/ 2025, दिनांकः 31 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि से सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्माण स्थल पर साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर "पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य" निर्माण का वर्ष एवं योजना की लागत इंगित की जायेगी।
11. पंचम राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि दिनांकः 31.03.2025 को समाप्त हो जायेगी। उक्त के दृष्टिगत योजना हेतु अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि प्राप्त करने हेतु

File No. FCD-IRFC/FSFC/2/2024-FCD-Finance Department (Computer No. 68181)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATURI, RO Finance Section 1 KCB, RO FINANCE, Finance Department on 11/12/2025 12:21 pm

तत्परता के साथ कार्यवाही की जाय। दिनांकः 31 मार्च, 2026 को आयोग की अवार्ड अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त योजना हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 (यथा संशोधित), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तो में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा।
14. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक की अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–00–200–अन्य विविध क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–02–राज्य वित्त आयोग–04–शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
15. अलोटमेन्ट आई.डी. संलग्न है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
Digitally signed by Himanshu Khurana
Date: 10-12-2025 14:44:26
(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

संख्याः351730 / 68181/FCD-IRFC/FSFC/2/ 2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित मुख्य/ वरिष्ठ, कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी
8. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत–गूलरभोज, उधमसिंह नगर।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव।

File No. FCD-IRFC/FSFC/2/2024-FCD-Finance Department (Computer No. 68181)
Generated from eOffice by KAILASH CHANDRA BATUBI, RO-Finance Section-I-KCB, RO-FINANCE, Finance Department on 11/12/2025 12:31 pm

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

HOD-Secretary Finance (HOD)(2211)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-Director Urban Development Dehradun(2877)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-007

आवंटन आई डी-H25120070145
आवंटन पत्र दिनांक-11-DEC-2025

लेखा शीर्षक	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	00--
	200-अन्य विविध मुआवजा और असाइनमेंट	02-राज्य वित्त आयोग
	04-शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान	Voted

3	6	0	4	0	0	2	0	0	0	2	0	4

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	81586000	3195000	72500000	84781000
योग	81586000	3195000	72500000	84781000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.31,95,000 (Rupees Thirty One Lacs Ninety Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2211:2211:2512:0004

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

के0के0 पाण्डेय
अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग–01
उत्तराखण्ड शासन